न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 41/2020
3. उनवान : सरकार जरिये ज्ञानचंद प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, मण्डावरी तहसील फागी।
2. सहायक व्यवस्थापक, श्री रतन लाल दरोगा, ग्राम सेवा सहकारी समिति, मण्डावरी तहसील फागी।

4. निर्णय दिनांक : 28.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री संदीप कुमार मीणा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर ग्रामीण श्री ज्ञानचंद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 22.03.2017 को ग्राम सेवा सहकारी समिति मण्डावरी तहसील फागी की उचित मूल्य की दुकान की जांच की गई। मौके पर वास्ते जांच स्टाक रजिस्टर मंगवाने पर सह व्यवस्थापक ने असमर्थता जताई तथा बताया कि स्टॉक रजिस्टर व्यवस्थापक के पास है। मौके पर पोस मशीन से शेष स्टाक की स्लिप निकलवायी गई जिसके अनुसार गेंहूं 90.46.200 क्विंटल, केरोसीन 289.50 लीटर व चीनी 1.34.200 क्विंटल शेष होनी चाहिये थी किन्तु दुकान में भौतिक सत्यापन करने पर चीनी 2.23 क्विंटल पायी गयी। इस प्रकार (2.23.000–1.34.200=88.800 किग्रा.) 88.800 किग्रा. चीनी वांछित मात्रा से अधिक पायी गयी। जिसका कोई संतोषजनक जवाब अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नहीं दिया गया। खुर्द बुर्द होने की आशंका के मद्देनजर 88.800 किग्रा. चीनी मय बारदाना(प्लास्टिक कट्टे) को जब्त किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,10,11,17(सी) एवं 18 का उल्लंघन किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप कुमार मीणा ने दिनांक 28.08.2017 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस सम्यक रुप से तामील होने के बावजूद जवाब भी पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। दौराने बहस अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि स्टाक से अधिक मात्रा में मिली चीनी ग्रामवासियों द्वारा पोस मशीन के माध्यम से ली जा चुकी थी परन्तु समयाभाव के कारण कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भौतिक रुप से उसे प्राप्त नहीं किया गया था एवं बाद में उसे प्राप्त कर लिया गया, जिसके संबंध में उपभोक्ताओं के शपथ पत्र भी पेश किये हैं। साथ ही कथन किया कि स्टाक रजिस्टर व्यवस्थापक जी के संरक्षण में था इसलिये मौके पर व्यवस्थापक जी के अनुपस्थित

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

होने के कारण स्टाक रजिस्टर पेश नहीं कर सके। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 28.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने एवं बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2017 को ग्राम सहकारी समिति मण्डावरी तहसील फागी की उचित मूल्य की दुकान पर जब्ती की कार्यवाही कर स्टाक से अधिक मात्रा में पायी गयी 88.800 किग्रा. चीनी को जब्त किया गया। अप्रार्थी ने मौके पर स्टाक रजिस्टर पेश नहीं किया ना ही आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष उक्त जब्तशुदा चीनी वैध होने या स्टाक के अनुसार सही होने का कोई सबूत/प्रमाण पेश किया है। अधिकवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर स्टाक रजिस्टर इसलिये पेश नहीं कर सके क्योंकि यह अप्रार्थी संख्या 1 के संरक्षण में था और वे मौके पर उपस्थित नहीं थे, जबकि एक वित्तीय वर्ष तक का समस्त रिकार्ड उचित मूल्य दुकान पर ही रखने के आदेश जारी हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन की उपभोक्ताओं ने समयाभाव के कारण भौतिक रुप से चीनी प्राप्त नहीं की थी एवं उपभोक्ताओं के शपथ पत्र में अंकित है कि इन्टरनेट सेवा धीमी होने के कारण एवं समयाभाव के कारण चीनी नहीं ली थी, में विरोधाभास है। पोस मशीन में उपभोक्तओं को चीनी आवंटन पश्चात अधिक चीनी बचे रहना नियमविरुद्ध एवं संदेहास्पद है। साथ ही जब्त चीनी उपभोक्ताओं की मानने पर चीनी खुदरा रुप में पृथक–पृथक तौल अनुसार मौके पर उपलब्ध होनी चाहिये थी जबकि मौके पर जब्त चीनी थोक रुप में प्लास्टिक के कट्टे में पाई गयी थी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के एक ही पेशानी में प्रस्तुत शपथ पत्र मौलिक ज्ञात नहीं होते हैं। इस प्रकार प्रथमदृष्टया राशन की दुकान पर उपभोक्ताओं को कम चीनी तौल कर देने एवं इस प्रकार बची चीनी की कालाबाजारी करने की स्थिति पुष्ट होती है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त चीनी अवैध थी और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मंद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 88.800 किग्रा. चीनी शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।